न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
201/2023	05.06.2023	27.07.2023

अनवान

1. कैलाश पुत्र स्व0 श्री रामलाल सुथार जाति खाती,
2. श्रीमती गटू पत्नी स्व0 श्री रामलाल सुथार जाति खाती,
3. नारायण पुत्र स्व0 श्री रामलाल सुथार जाति खाती,
4. माधू लाल पुत्र रूपा सुथार जाति खाती,
   निवासीयान एकलिंगपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. नन्दराम पुत्र उदा सुथार जाति खाती,
2. जमना पुत्र हीरा लाल सुथार जाति खाती,
3. अशोक कुमार पुत्र रामेश्वर लाल शर्मा जाति ब्राह्मण,
4. सूर्यप्रकाश पुत्र स्व0 श्री भैरू लाल शर्मा जाति ब्राह्मण,
5. लेहरू पुत्र नन्दराम कुम्हार जाति कुम्हार,
6. भैरूलाल पुत्र नानूराम सुथार जाति खाती,
7. रूपा पुत्र कालू बैरवा जाति बैरवा
   निवासीयान एकलिंगपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :— अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन — प्रार्थीगण
एक तरफा— अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम ::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम एकलिंगपुरा, पटवार हल्का तिलोली, भू.अ.नि. क्षेत्र कारोईकलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2072—2075 के नये खाता संख्या 365 की अभिलिखित आराजी संख्या 1090/913 रकबा 0.2403 है0, आराजी सं. 1092/894 रकबा 0.1960 है0, आराजी सं. 1094/903 रकबा 0.3793 है0, आराजी सं. 651 रकबा 0.2782 है0, आराजी सं. 653 रकबा 0.0885 है0, आराजी सं. 655 रकबा 0.0759 है0, आराजी सं. 902 रकबा 0.6575 है0, आराजी सं. 911 रकबा 0.1517 है0 कुल किता 08 कुल रकबा 2.0674 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के रिकॉर्डेड खातेदार है, जिसमें विपक्षीगण पड़ौसी काश्तकार होकर खातेदार हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा के

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

बाबत् आपस में विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 27.07.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने की अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम एकलिंगपुरा, पटवार हल्का तिलोली, भू.अ.नि. क्षेत्र कारोईकलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2072–2075 के नये खाता संख्या 365 की अभिलिखित आराजी संख्या 1090/913 रकबा 0.2403 है0, आराजी सं. 1092/894 रकबा 0.1960 है0, आराजी सं. 1094/903 रकबा 0.3793 है0, आराजी सं. 651 रकबा 0.2782 है0, आराजी सं. 653 रकबा 0.0885 है0, आराजी सं. 655 रकबा 0.0759 है0, आराजी सं. 902 रकबा 0.6575 है0, आराजी सं. 911 रकबा 0.1517 है0 कुल किता 08 कुल रकबा 2.0674 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/–रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा